(2018) 14 एस.सी.आर. 1101
एनएचपीसी लिमिटेड
बनाम
मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड
(सिविल अपील संख्या 11700/2018) 30 नवंबर, 2018
(न्यायमूर्तिगण-डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह)
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- धारा 9 और 34-धारा 9 के तहत पंचाट के बाद आवेदन-आवेदन स्वीकार किया गया और अपीलकर्ता ने मध्यस्थ पंचाट द्वारा निर्धारित की गई राशि अवमुक्त करने का निवेदन किया-इस आधार पर चुनौती देते हुए कि उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया था, भले ही धारा 34 के तहत फैसले को चुनौती देने के लिए सीमा की अवधि अभी भी समाप्त होनी थी-अपीलकर्ता का मामला कि आवेदन 9 के तहत, फैसले को चुनौती देने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर दायर याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था- इन कार्यवाहियों में नोटिस जारी करना और लिस्टिंग की अगली तारीख तक उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाना-सुनवाई के दौरान, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया गया-चूँकि मध्यस्थ निर्णय को रद्द कर दिया गया है, जिस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, वह जीवित नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11700/2018

उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा खण्डपीठ चंड़ीगढ़ द्वारा एफएओ संख्या 4394/2016 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.08.2016 के विरूद्ध।

एन.के. कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजीत पुडुसरी, के. विजयन, अजीत सिंह वर्मा, अपीलकर्ता के अधिवक्तागण।

महेश अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल एडवोकेट, अधिवक्तागण प्रतिपक्षी।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड,

अनुमति स्वीकृत।

1. उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2016 के अपने आक्षेपित आदेश द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ('अधिनियम') की धारा 9 के तहत पंचाट के बाद के आवेदन की अनुमति दी। नतीजन, अपीलकर्ता को ब्याज के साथ मध्यस्थ पंचाट द्वारा निर्धारित की गई राशि अवमुक्त करने के लिए कहा गया था, वशर्ते प्रतिवादी एक वर्ष की अवधि के लिए दी गई राशि के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करे।

2. अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि 22 अगस्त 2016 को उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया था, जबकि धारा 34 के तहत फैसले को चुनौती देने के लिए सीमा की अवधि अभी भी समाप्त होनी थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला 22 अप्रैल 2016 को किया गया था। धारा 33 के तहत आवेदनों का निस्तारण 04 जून 2016 को किया गया। इसलिए अपीलकर्ता के अनुसार, अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने की सीमा की अवधि 03 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई थी।

3. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 9 के तहत आवेदन, जो 13 जून, 2016 के निर्णय को चुनौती देने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया था, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और किसी भी स्थिति में, अधिनियम की धारा 9 के मापदंडों के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

4. इन कार्यवाहियों में नोटिस 18 सितंबर 2016 को जारी किया गया था और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर लिस्टिंग की अगली तिथि तक रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।

5. सुनवाई के दौरान, हमें इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को 29 नवंबर 2018 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-पीठासीन न्यायाधीश, विषेश वाणिज्यिक न्यायालय, गुरूग्राम द्वारा रद्द कर दिया गया है। चूंकि मध्यस्थ पंचाट को रद्द कर दिया गया है , इसलिए जिस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, वह जीवित नहीं है।

6. इसलिए, उच्च न्यायालय के 22 अगस्त 2016 के आदेश को रद्द किया जाता है।

7. निष्कर्ष निकालने से पहले, इस न्यायालय के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि वर्तमान निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर न्यायालय द्वारा राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, विशेष रूप से, वर्तमान कार्यवाही में आग्रह किया गया है कि जिस तारीख को उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था, उस तारीख को भी, उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार सीमा से अधिक कार्य किया था।

सिविल अपील का निस्तारण किया जाता है। कोई वाद व्यय नहीं।

मध्यस्थ पंचाट को चुनौती देने के सम्बंध में उभय पक्ष के सभी अधिकारों और विवादों को विधि अनुसार बहस करने के लिए खुला रखा जाता है।

निधि जैन की अपील का निस्तारण।

Digitally signed by Angad Prasad
II
Date: 2023.10.31 16:26:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court